पूर्वोत्तर रेलवे

कारखाना प्रशिक्षण केंद्र
यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर

संख्या–डब्लू0टी0सी0 / गोरखपुर / वी0टी0 / 2024 दिनांक 11.03.2024

विषय– डिग्री / डिप्लोमा में अध्यनरत छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रशिक्षण के लिए प्रक्रिया।

संदर्भ– प्रशिक्षण निदेशक, रेलमंत्रालय के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2019 / ई(टीआरजी) / 30 / 5 दिनांक 29.04.2019

संदर्भित रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसरण में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ, कारखाना प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर में डिग्री / डिप्लोमा में अध्यनरत छात्रों के लिए इंटर्नशिप (ग्रीष्मकालीन) प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया शुरू की गई है–

01. पाठ्यक्रम की अवधि–जैसा भी मामला हो अधिकतम आठ सप्ताह।
02. प्रशिक्षित किए जाने वाले इंटर्न की संख्या–एक वर्ष में 3600 मात्र।
03. बैचों की संख्या–प्रत्येक बैच में 15–50 छात्र होंगे।
04. शाखाएँ / अनुशासन–यांत्रिक और विद्युत।
05. प्रशिक्षण की व्यवस्था–हर साल अप्रैल से।
06. इंटर्नशिप की सुविधा केवल उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जो अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। यह सुविधा तकनीकी क्षेत्रों में स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर पर अध्यनरत छात्रों के लिए है, जो अभ्यर्थी फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं अथवा संस्थान छोड़ दिये हैं उनको यह लागू नहीं है।
07. प्रशिक्षुओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
08. किसी भी तरह के वजीफे, वेत न या भत्ते के रूप में कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा इन प्रशिक्षुओं को कोई पास पीटीओ जारी नहीं किया जाएगा।
09. कारखाना प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर के सभी सामान्य नियमों और विनियमों के अनुरूप प्रशिक्षुओं को अनुशासन और आचरण, करना होगा।
10. प्रशिक्षण चाहने वाले छात्र के आवेदन को अपनेअध्ययन सस्थान के "अनापत्ति" प्रमाण पत्र / अनुशंसा के साथ भेजा जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु के कारण होने वाले उपकरण और फिटिंगको कोईनुकसान या क्षति छात्रके माता–पिता / अभिभावक द्वारा क्षतिपूर्ति किया जाएगा।
11. प्रशिक्षुओं को रेलवे प्रशासन के कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जाएगा और उनके किसी भी व्यक्तिगत / संपत्ति क्षति के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षुओं द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य है।
12. प्रशिक्षु संबंधित इकाई / कार्यालय के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन के अधीन होंगे।
13. प्रशिक्षण के सफल समापन पर, प्रशिक्षुओं को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा अपनी प्रतिक्रिया जिसमें नवप्रवर्तन आदि के लिए विचार / सुझाव शामिल हैं, देते हुए प्रस्ततु करनी होगी उसके बाद ही रेलवे प्रशासन द्वारा उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
14. रेलवे प्रशासन बिना किसी कारण बताए किसी भी समय इस प्रशिक्षण कायर्क्रम को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षु को निर्देश दे सकता है।रेलवे प्रशासन का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा। प्रशिक्षु भी प्रोग्राम को छोड़ सकता है, यदि वह इच्छा रखता है, तो प्रधानाचार्य कारखाना प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर को सात (07) कार्यदिवस पूर्व सूचना देना होगा। ऐसे प्रशिक्षु को कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा।
15. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रेल मंत्रालय / सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी भी कार्यालय / प्रतिष्ठान में किसी भी रोजगार के लिए कोई दावा / अधिकार प्रदान नहींकरेगा।
16. उम्मीदवारों को आवेदन में अपने सेमेस्टर के परिणामों को बताते हुए अपने आवेदन–पत्र, घोषणा–पत्र तथा शपथ–पत्र के साथ आवेदन करना होगा।
17. इंजीनियरिंग स्नातक के केवल द्वितीय या तृतीय वर्ष के छात्र तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के मामले में दूसरे वर्ष के छात्रों को ही प्रशिक्षण के लिए विचार किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनका कालेज अथवा निवास गोरखपुर मण्डल में हो अथवा जो रेल कर्मचारी का पाल्य हो।
18. ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण हेतु आवेदन दि0 01.04.2024 से 30.06.2024 तक प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेगें। आवेदन डाक या कारखाना प्रशिक्षण केन्द्र, परिसर में रखे ड्रॉप बॉक्स में किसी कार्य दिवसों में जमा किये जा सकेगें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर **"ग्रीष्मकालीना–2024 हेतु आवेदन"** लिखा होना चाहिए। डाक द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय प्रधानाचार्य, कारखाना प्रशिक्षण केंद्र, यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर–273012 के पते पर दि0 30.06.2024 के पूर्व / तक प्राप्त हो जाना चाहिए। दि0 30. 06.2024 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. प्रत्येक सप्ताह में आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और दो सप्ताह के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में कारखाना प्रशिक्षण केन्द्र, के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित की जाएगी।

संलग्नक– आवदेन प्रारूप, घोषणा–पत्र तथा शपथ–पत्र ।

स0का0प्र0– ।।।
(प्रधानाचार्य) / कारखाना प्रशिक्षण केंद्र,
यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर–273012

"ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण–2024 के लिए आवेदन–पत्र''

फोटो

अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी मैं) :

(अंग्रेजी के बडे. अक्षरों में) :

अभ्यर्थी के पिता का नाम (हिन्दीमें) :

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :

जन्म तिथि एवं लिंग : पु / म / अन्य

संस्थान का नाम (हिन्दीमें) :

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :

पाठ्यक्रम का नाम (हिन्दीमें) :

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :

पत्राचार का पता :

प्राप्तांक प्रतिशत पिछले वर्ष / सेमेस्टर में :

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के लिए अधिसूचनासंख्या–डब्लू0टी0सी0 / गोरखपुर / वी0टी0 / 2024 दिनांक 11.03.2024 के संदर्भ में, मैं निम्न की जिम्मेदारी लेता हूँ–

1. मैं..ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण दिनॉक ....से..................................तक कारखाना प्रशिक्षण केंद्र, यांत्रिक कारखाना गोरखपुर से करना चाहूंगा।
2. मैं रेलवे प्रशासन से छात्रवृत्ति, वेतन या भत्ते के रूप में किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं हूं। मैं भारतीय रेलवे से किसी भी पास या पीटीओ का हकदार नहीं हूं।
3. मैं रेलवे प्रशासन में अनुशासन और आचरण के सभी सामान्य नियमों और विनियमों का पालन करूंगा।
4. मैं रेलवे प्रशासन से संबन्धित उपकरण और फिटिंग आदि के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए संबंधित क्षतिपूर्ति केलिए उत्तरदायी हूं, जो कारखाने में प्रशिक्षण के दौरान हो सकता है।
5. मुझे भारतीय रेलवे के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा और जैसे कि मुझे या मेरी संपत्ति को किसी भी चोट / नुकसान के लिए रेलवे प्रशासन से किसी भी क्षति पूर्ति या हर्जाने का अधिकार नहीं होगा।
6. मैं संबंधित यूनिट / कार्यालय के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन के तहत रहने हेतु सहमत हूं।
7. मैं इस प्रशिक्षण के आधार पर भविष्य में भारतीय रेलवे में रोजगार के लिए किसी भी लाभ का दावा नहीं करूंगा।

दिनांक......................................

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मो0नं0–

माता–पिता / अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं...(माता–पिता / अभिभावक का नाम) श्री / श्रीमती ....(प्रशिक्षु का नाम) द्वारा अपने प्रशिक्षण के दौरान भारतीय रेलवे के उपकरण और फिटिंग के नुकसान / क्षति होने या प्रेरित करने का कार्य करता है जिसके कारण भारतीय रेलवे का नुकसान हो सकता है, के क्षतिपूर्ति की जिम्मदेारी लेता हूँ।

••• मैं ....रेलवे के ....मंडलके........................विभागमें.........................के पद पर कार्यरत हूँ तथा मेरा कर्मचारी सं0..है। अपने परिचय पत्र की कापी भी संलग्न कर रहा हूँ।

माता–पिता / अभिभावक का हस्ताक्षर

••• यदि लागू न हो तो काट दें।

संस्थान द्वारा घोषणा

यह प्रमाणित है कि इस संस्थान को उपरोक्त नामित उम्मीदवार के वर्ष 2024 के दौरान कारखाना प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर में ग्रीष्मकालीन / शरदकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस संस्था में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पूर्वोक्त पैरा में प्रस्तुत विवरण सही पाए गए हैं।

(अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

संस्था के प्रमुख का मुहर

या

इंस्टीट्यूशन के लटेर हेड पर एक अनुरोध पत्र, सस्थान के प्राधिकृत पदनाम द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले उम्मीदवार के नाम और अन्य विवरण के साथ।

शपथ–पत्र

समक्ष– मुख्य कारखाना प्रबन्धक
यॉत्रिक कारखाना, पूर्वोत्तर
रेलवे गोरखपुर।

मै...पुत्र/पुत्री...ग्राम/मुहल्ला............................... जिला.................................प्रदेश....................................का स्थायी निवासी हूॅ तथा शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूॅ व कसम खाता/खाती हूॅ कि–

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम, पिता का नाम व पता इत्यादि सही है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती संस्थान...इंजीनियरिंग/डिप्लोमा वर्ग........ . ... का/की छात्र/छात्रा है।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती का रेल प्रशासन की सामान्य नियम एवं कानूनों की जानकारी करा दी गयी है।
4. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती का रेल प्रशासन में किसी प्रकार की वृत्तिका भत्ते का दावा नहीं करेगा/करेगी।
5. यह कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान शपथकर्ता/शपथकर्ती द्वारा रेल के किसी प्रकार के नुकसान के क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होगा/होगी।
6. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती रेल संगठन में नियुक्ति का दावा नहीं करेगा/करेगी तथा किसी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा में वह किसी भी कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत किसी प्रकार के क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा/होगी।
7. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ग्रीष्मकालीन अल्पावधि प्रशिक्षण के दौरान सभी नियमों का पालन करेगा/करेगी।
8. यह कि सेफ्टी शूज (कवर्ड शूज) के साथ प्रशिक्षण संस्थान में रहेगा/रहेगी।
9. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती प्रशिक्षण के दौरान कारखाना प्रशिक्षण केन्द्र/कारखाने के अन्दर किसी प्रकार का वाहन नहीं लायेगा/लायेगी।
10. यह कि प्रशिक्षण के दौरान अनुचित वस्त्र पहनकर नहीं आयेगा/आयेगी।
11. यह कि प्रशिक्षण के दौरान उपस्थिति नियमित रूप से रहेगी।
12. यह कि प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुख्य अनुदेशक, कारखाना प्रशिक्षण केन्द्र, यॉत्रिक कारखाना, गोरखपुर को सौपेंगे/सौपेगी।
13. यह कि उपरोक्त तथ्य सही है। यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है तो मेरा/मेरी प्रशिक्षण स्वतः निरस्त मना जाएगा।
14. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती कारखाने के अन्दर बातचीत करते हुए इधर–उधर नहीं घूमेगा/घूमेंगी।
15. यह कि शपथ कर्ता/कर्ती इस आशय का वचन देता/देती है कि रेलवे प्रशासन संरक्षण से सम्बन्धी अथवा अन्य किसी अप्रिय घटना हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
16. यह कि शपथ कर्ता/कर्ती इस आशय का वचन देता/देती है कि कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।
17. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती कसम खाता/खाती हूॅ कि, उपरोक्त शपथपत्र का बिन्दु 01 से 16 तक मेरे इल्म से सही व सच है। इसकी कोई बात छुपायी नहीं गयी है और न तो गलत दर्ज की गयी है अतः ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथकर्ता/शपथकर्ती
मोबाइल नं0

प्राप्ति रशीद

Date and Registration Number :

(Office use only)

Name of the Candidate (in Hindi/English) :

Father's Name (in Hindi/English) :

Date of Birth and Gender :

Name of the Institute (in Hindi/English) :

Mobile No.& email ID :

Signature with seal of authority

प्राप्ति रशीद

Date and Registration Number :

(Office use only)

Name of the Candidate (in Hindi/English) :

Father's Name (in Hindi/English) :

Date of Birth and Gender :

Name of the Institute (in Hindi/English) :

Mobile No.& email ID :

Signature with seal of authority